न्यायालयः सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०......84/2024

कंप्यूटर रजि०नं०..............204/2024

सरकार बनाम अमित कुमार आदि

अंतर्गत धारा–147,364,302/149,201 भा०द०सं०

एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम

थाना–मुरादनगर गाजियाबाद।

मु0 अ 0 सं0–410/2023

<u>मैमोरेण्डम</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण अमित कुमार, सुमित कुमार उर्फ सुमित राज तथा अंकुर सिंह जिला कारागार से तथा शेष अभियुक्तगण करन उर्फ केपी, रामू उर्फ आकाश एवं राखी सिंह जमानत पर मय अधिवक्ता उपस्थित हैं। अभियुक्त बंटी सिंह की ओर से हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्क आरोप सृजित किये जाने के बिंदु पर सुने गये एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अमित कुमार के विरूद्ध धारा–147,364,302/149,201 भा०द०सं०एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत, अभियुक्तगण अंकुर सिंह, करन उर्फ केपी, रामू उर्फ आकाश एवं सुमित कुमार उर्फ सुमित राज के विरूद्ध धारा–147,364,302/149,201 भा०द०सं० के अंतर्गत एवं अभियुक्ता राखी सिंह के विरूद्ध धारा–364,302/149,120B भा०द०सं० के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध तद्नुसार आरोप सृजित किया जाता है।

पत्रावली अभियुक्त बंटी सिंह के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने हेतु दिनांक 02–09–2024 को पेश हो।

(अनिल कुमार–X)

सत्र न्यायाधीश

दिनांक 16.08.2024 गाजियाबाद।